न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 10/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025/286

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
सांवलाराम पुत्र लच्छा वगैरह	राज्य सरकार जरिये तहसीदलार सांचौर वगैरह

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 02.12.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 06.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा हाडेतर, पटवार हल्का—हाड़ेतर, तहसील—सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खाता संख्या 137 के खसरा नंबर 319 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 320 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 321 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 322 रकबा 2.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 596 रकबा 1.38 हैक्टेयर कुल रकबा 3.64 हैक्टेयर के आये हुए है जो नक्शे में पुख्ता किस्तवार तरमीमसुदा आया हुआ है। सलंग्न जमाबंदी एवं नक्शा से स्पष्ट है। उक्त प्रार्थना—पत्र में प्रार्थीगण के एक दूसरे की पैरोकारी मंजूर है। सुविधा के लिहाज से प्रार्थना पत्र के साथ प्रदर्श नक्शा 'अ' पेश किया जा रहा है। उक्त नक्शे में प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। नक्शे में लाल स्याही स्थान के चिन्हित रेखा अनुसार सीमांकन का प्रार्थीगण के खेत खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ है। चिन्हित लाल स्याही स्थान खेत की माठ की स्थाई नेखमबंदी करवाना चाहते है जिससे हम पक्षकारों के हमेशा के लिए सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा गलत पैमाईश कर हमारे खेतों की सीमांकन तय किया बिना पुराना दरखतों को काट हमारी खेत की माठ को समतल कर दिया तथा अभी मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करने के लिए उतारू होकर मौके पर निर्माण सामग्री डालकर पक्की निर्माण शुरू कर वाद की विषयवस्तु में परिवर्तन कर रहे है जिससे प्रकरण के प्रस्तुतिकरण का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थना—पत्र में तमाम अवतरणों में उल्लेखित अभिवचनों अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में होने से स्थगन प्रार्थना—पत्र पेश है। अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा हाड़ेतर, पटवार हल्का—हाड़ेतर में प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 596 रकबा 1.38 हैक्टेयर भूमि की सीमा में व प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

किसी प्रकार की दखलंदाजी, विघ्न, पैदा नहीं करें तथा प्रकरण के मुल निस्तारण तक उक्त गलत पैमाईश अनुसार व प्रार्थीगण के खेत की पैमाईश किये बिना, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)